

**एनएचपीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल की समितियों के  
विचारार्थ विषय**

**(i) लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय:**

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और उसकी वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण की निगरानी करना ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है ।
2. बोर्ड को लेखापरीक्षा शुल्क के निर्धारण की सिफारिश करना ।
3. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदान की गई अन्य सेवाओं के लिए लेखापरीक्षकों को भुगतान की स्वीकृति देना ।
4. प्रबंधन के साथ वित्तीय विवरणों और लेखापरीक्षक की तत्संबंधी रिपोर्ट की समीक्षा अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने से पहले , निम्नलिखित विशेष संदर्भ में:
  - क) बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले अपेक्षित मामले;
  - ख) लेखांकन नीतियों एवं प्रथाओं और उसके कारणों में परिवर्तन, यदि कोई हो;
  - ग) प्रबंधन द्वारा निर्णय के प्रयोग के आधार पर अनुमानों को शामिल करने वाली प्रमुख लेखा प्रविष्टियां;
  - घ) लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;
  - ङ) वित्तीय विवरणों से संबंधित लिस्टिंग और अन्य विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन;
  - च) किसी भी संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटीकरण; और
  - छ) मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित अभिमत
5. अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ तिमाही वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना ।
6. प्रबंधन के साथ, सांविधिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों के प्रदर्शन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना ।
7. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफिंग और विभाग के प्रमुख अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना कवरेज, और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता, यदि कोई हो, की समीक्षा करना ।
8. किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आंतरिक लेखापरीक्षकों और/या लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना ।
9. आंतरिक लेखा परीक्षकों / लेखा परीक्षकों / एजेंसियों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या भौतिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता है, और उक्त मामले को बोर्ड को रिपोर्ट करना ।
10. लेखा परीक्षा की प्रकृति और कार्य क्षेत्र के साथ-साथ किसी भी अन्य क्षेत्र पर पोस्ट ऑडिट चर्चाएँ लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करना ।
11. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने की स्थिति में) और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों की जांच करना ।
12. व्हिसल ब्लोअर तंत्र के कार्य प्रणाली की समीक्षा करना ।
13. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) की लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना ।

14. संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति (सीओपीयू) की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना ।
15. स्वतंत्र लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों और निदेशक मंडल के बीच संचार का एक खुला अवसर प्रदान करना ।
16. संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेनदेन की स्वीकृति या बाद में कोई संशोधन करना ।
17. कवरेज, अनावश्यक प्रयासों में कमी और सभी लेखापरीक्षा संसाधनों के प्रभावी उपयोग की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा प्रयासों के समन्वय की स्वतंत्र लेखापरीक्षक के साथ समीक्षा करना ।
18. स्वतंत्र लेखा परीक्षक और प्रबंधन के साथ निम्नलिखित पर विचार करना और उसकी समीक्षा करना:
  - क) कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण और सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता और
  - ख) प्रबंधन की प्रतिक्रियाओं के साथ स्वतंत्र लेखा परीक्षक और आंतरिक लेखा परीक्षक के संबंधित निष्कर्ष और सिफारिशें ।
19. प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षक और स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ निम्नलिखित पर विचार करना और उसकी समीक्षा करना:
  - क) पिछली लेखापरीक्षा सिफारिशों की स्थिति सहित वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण निष्कर्ष, और
  - ख) गतिविधियों के कार्य क्षेत्र या आवश्यक जानकारी तक पहुंच पर किसी भी प्रतिबंध सहित लेखापरीक्षा कार्य के दौरान आने वाली कोई भी कठिनाई ।
20. लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता और प्रदर्शन और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना ।
21. इंटर-कॉर्पोरेट ऋणों और निवेशों की संवीक्षा करना ।
22. कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करना, जहां कहीं आवश्यक हो ।
23. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करना ।
24. किसी निर्गम (सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमान्य निर्गम, आदि) के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग/अनुप्रयोग के विवरण, प्रबंधन के साथ समीक्षा करना, प्रस्ताव दस्तावेज़/विवरणिका में बताए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई निधियों का विवरण और सार्वजनिक या राइट इश्यू की आय के उपयोग की निगरानी करने वाली निगरानी एजेंसी द्वारा नोटिस प्रस्तुत करना और इस मामले में कदम उठाने के लिए बोर्ड को उचित सिफारिशें करना ।
25. बोर्ड के साथ कंपनी के लागत लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक की सिफारिश करना ।
26. निम्नलिखित की समीक्षा करना :
  - i) प्रबंधन चर्चा और वित्तीय स्थिति और प्रचालन के परिणामों का विश्लेषण ।
  - ii) सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी किया गया प्रबंधन का पत्र/आंतरिक नियंत्रण कमियों से संबंधी पत्र;
  - iii) आंतरिक नियंत्रण कमियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट ।
27. मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति और इन्हे पद से हटाने की समीक्षा ।
28. कंपनी द्वारा ऋण और/या अग्रिम/निवेश सहायक कंपनी में 100 करोड़ रुपये से अधिक या सहायक कंपनी की संपत्ति के आकार के 10%, जो भी कम हो, में उपयोग की समीक्षा करना।
29. वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करना ।

30. यह सत्यापित करना कि सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 में दी गई अपेक्षाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणाली पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं।
31. उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव और पृष्ठभूमि आदि का आकलन करने के बाद मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति की स्वीकृति देना ।
32. कंपनी और उसके शेयरधारकों पर विलयन, डीमर्जर, समामेलन आदि से जुड़ी योजनाओं के औचित्य, लागत-लाभ और प्रभाव पर विचार करना और उस पर टिप्पणी करना ।
33. कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और डीपीई द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस की दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय में उल्लिखित किसी भी अन्य कार्य को करना ।

\*\*\*\*\*

## (ii) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषय

1. निदेशक की सकारात्मक विशेषताओं और स्वतंत्रता को निर्धारित करने के लिए मानदंड तैयार करना ।
2. प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों सहित बोर्ड और बोर्ड स्तर के नीचे स्तर के कर्मचारियों के लिए वार्षिक बोनस/प्रदर्शन संबंधी वेतन (पीआरपी) के वितरण की सिफारिश करना और इसके वितरण के लिए नीति बनाना ।
3. स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना ।
4. बोर्ड विविधता पर नीति बनाना ।
5. उन व्यक्तियों की पहचान करना जिन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जा सकता है और बोर्ड को उनकी नियुक्ति और इन्हें हटाने की सिफारिश करना ।
6. अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल हेतु अन्य भक्तों और अनुलाभों आदि की जांच करना और अनुशंसा करना ।
7. बोर्ड को वरिष्ठ प्रबंधन के सभी पारिश्रमिक, चाहे किसी भी रूप में हो, की सिफारिश करना।
8. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति स्वतंत्र निदेशक की प्रत्येक नियुक्ति के लिए, बोर्ड में कौशल, विवेक और अनुभव के संतुलन का मूल्यांकन करेगी और इस तरह के मूल्यांकन के आधार पर, एक स्वतंत्र निदेशक की आवश्यक भूमिका और क्षमताओं का विवरण तैयार करेगी ।
9. कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और डीपीई द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के प्रावधानों के तहत किसी अन्य कार्य, जैसा अपेक्षित हो, को करना ।

(iii) हितधारकों की संबंध समिति के Terms of Reference:

1. Resolving the grievances of the security holders including complaints related to transfer/transmission of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of declared dividends, issue of new/duplicate certificates, general meetings etc.
2. Review of measures taken for effective exercise of voting rights by shareholders.
3. Review of adherence to the service standards adopted in respect of various services being rendered by the Registrar & Share Transfer Agent.
4. Review of the various measures and initiatives taken for reducing the quantum of unclaimed dividends and ensure timely receipt of dividend warrants/annual reports/statutory notices by the shareholders of the company.
5. To periodically review NHPC Stakeholder Engagement Policy and its proper implementation with respect to its suitability and effectiveness.
6. To Carry out any other function, as required by the provisions of the Companies Act, 2013, SEBI (LODR) and Corporate Governance Guidelines issued by DPE.

**(iv) जोखिम प्रबंधन समिति के विचारार्थ विषय:**

1. एक विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:
  - (क) वित्तीय, परिचालन, क्षेत्रीय, संधारणीयता (विशेष रूप से, ईएसजी से संबंधित जोखिम), सूचना, साइबर सुरक्षा जोखिम या समिति द्वारा निर्धारित किया कोई अन्य जोखिम सहित विशेष रूप से कंपनी द्वारा सामना किए जाने वाले आंतरिक और बाहरी जोखिमों की पहचान करने के लिए एक संरचना बनाना ।
  - (ख) पहचाने गए जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं सहित जोखिम कम करने के उपाय करना ।
  - (ग) व्यापार निरंतरता योजना ।
2. यह सुनिश्चित करना कि कंपनी के व्यवसाय से जुड़े जोखिमों की निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए उपयुक्त कार्यप्रणाली, प्रक्रियाएं और प्रणालियां मौजूद हैं;
3. जोखिम प्रबंधन प्रणाली की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने सहित जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी एवं पर्यवेक्षण करना ।
4. दो वर्ष में कम से कम एक बार, उद्योग की बदलती गतिशीलता और उभरती जटिलता पर विचार करने सहित जोखिम प्रबंधन नीति की समय समय पर समीक्षा करना
5. निदेशक मंडल को अपनी चर्चाओं, सिफारिशों और की जाने वाली कार्रवाइयों की प्रकृति और प्रकरण के बारे में सूचित करना;
6. मुख्य जोखिम अधिकारी (यदि कोई हो) की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तें जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समीक्षा के अधीन होंगी ।
7. किसी भी सार्वजनिक दस्तावेज़ या प्रकटीकरण में जोखिम प्रकटीकरण विवरणों का अनुमोदन और इसकी समीक्षा करना ।
8. कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) और डीपीई द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के प्रावधानों के तहत किसी अन्य कार्य, जैसा अपेक्षित हो, को करना ।

**(v) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता संबंधी निदेशकों की समिति के विचारार्थ विषय:**

1. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता नीति, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को इंगित करेगी, को तैयार करना और बोर्ड को उस पर अनुशंसा करना;
2. कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता नीति की समय-समय पर निगरानी करना;
3. क्रम. सं. 1 में निर्दिष्ट गतिविधियों पर व्यय की जाने वाली राशि की सिफारिश करना;
4. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के दायरे में आने वाली सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/प्रस्तावों पर सिफारिश की समीक्षा करना;
5. सीएसआर नीति और सीएसआर नियमावली, समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसरण में एक वार्षिक कार्य योजना तैयार करना और बोर्ड को इस पर सिफारिश करना ।
6. कंपनी द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित करना;
7. कंपनी की सीएसआर पहलों पर रणनीति तैयार करने के लिए निदेशक मंडल को सहयोग देना;
8. नियमावली में दिए गए प्रपत्र के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट की सामग्री को अनुमोदित करना, और अन्य बातों के साथ-साथ इस उत्तरदायित्व बयान को शामिल करना कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन एवं निगरानी, कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में है;
9. निदेशक मंडल को उनकी जानकारी, विचार और आवश्यक निर्देशों के लिए समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
10. वार्षिक व्यापार उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता रिपोर्ट को अनुमोदित करना, और
11. समय-समय पर संशोधित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति संबंधी अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन करना ।

**(vi) एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आवंटन और आवंटन पश्चात की गतिविधियों के लिए निदेशकों की समिति के विचारार्थ विषय:**

1. प्रतिभूतियों से संबंधित सर्टिफिकेट्स को जारी करना;
2. प्रतिभूतियों का स्तान्तरण और संचारण;
3. प्रतिभूति प्रमाणपत्र(त्रों) का पुनः भौतिकीकरण;
4. प्रतिभूतियों से संबंधित डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स जारी करना; और
5. एनएचपीसी की प्रतिभूतियों का समेकन/विभाजन ।

**(vii) अपीलीय प्राधिकारी के विचारार्थ विषय:**

समिति को सीडीए नियमों के संदर्भ में उसके समक्ष रखे गए मामलों के लिए अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करना है ।

नोट: इस दस्तावेज के अंग्रेजी और हिन्दी संस्करण के बीच किसी भी विसंगतियों के मामले में, दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण लागू होगा।